निगरानी / टीए/1940/ 2006 / उदयपुर
हीरालाल वगैरह बनाम वरदीचंद

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **एकल–पीठ**<br>**श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य**<br><br>**उपस्थित :**<br>श्री संपतलाल बोहरा, अभिभाषक प्रार्थीगण।<br>अभिभाषक अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।<br><br>**आदेश**<br><br>हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 न्यायालय जिला कलेक्टर उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।<br><br>निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थी हीरालाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहसीलदार गोगुंदा के समक्ष प्रस्तुत कर खेत में आने जाने हेतु रास्ता खुलवाये जाने का अनुरोध किया। तहसीलदार गोगुंदा ने अपने आदेश दिनांक 19–12–2000 द्वारा प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु रास्ता खुलवाने का आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय कलेक्टर उदयपुर के यहां प्रस्तुत की गई। जिला कलेक्टर उदयपुर ने अन्य रास्ता चालू होना मानते हुये अपने आदेश दिनांक 20–2–06 द्वारा तहसीलदार गोगुंदा का आदेश दिनांक 19–12–2000 निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br><br>विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि तहसीलदार द्वारा नया रास्ता निर्मित नहीं किया गया था केवल कदीमी रास्ता बाप दादाओं के समय से बना हुआ था उसी का उपयोग व उपभोग कर रहे थे, उसमें विपक्षी ने बाधा पैदा शुरू करने पर कोई बाधा पैदा नहीं करने का आदेश दिया है। जिला कलेक्टर द्वारा वास्तविक स्थिति को समझे | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | बिना तहसीलदार का आदेश खारिज कर दिया। पूर्व में जो रास्ता है वह रास्ता बिल्कुल ढलान के रूप में है इसलिये कौने से ही केवल बैलगाडी, बैल खेतों में आ जा सकते है जो विपक्षी की जमीन है एवं वहां से ही 50–55 वर्षो से जब से बंटवारा हुआ, बराबर आ जा रहे है। गांव में एक दूसरे खेतों पर पहुंचने का यही एक मात्र साधन होता है। पक्षकारन एक ही परिवार के सदस्य है। आराजी नंबर 6616 के बाद प्रार्थी की जमीन आती है वह ढलान होने से रास्ते से 10 फिट उपर रह जाती है व अन्य तरफ पक्की दिवारें बनी हुई व अन्य कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार ने मौका देखकर मौके की स्थिति की जांच कर आदेश पारित किया था। प्रार्थी की जमीन और जिला कलेक्टर द्वारा बताये गये रास्तें में 10 फिट उंचाई का अंतर है। प्रार्थी द्वारा अपने खेतों में जाने के लिये वह रास्ता उपयोग में लिया जाना उंचाई/ढलान के कारण संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जिला कलेक्टर ने बिना मौके की जांच एवं तथ्यों के विपरीत जो आदेश पारित किया है वह निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।<br><br>अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक बार बार आवाज लगाये जाने पर भी उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाहीं अमल में लाई गई।<br><br>अभिभाषक प्रार्थी की एकएतरफा बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ आलोच्य आदेश का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया ।<br><br>ग्राम ढोल की आराजी खसरा नंबर 6616 में खातेदार अप्रार्थी वरदीचंद द्वारा दिवार बनाने से आराजी खसरा नंबर 6617 में प्रार्थी हीरालाल को अपने खेत में आने जाने का रास्ता बंद होने की स्थिति में रास्ता खुलेवाने का प्रार्थीना पत्र प्रार्थी द्वारा तहसीलदार गोगुंदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। | |

| | | |
|---|---|---|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
| | जिस पर तहसीलदार गोगुंदा ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर कदीमी रास्ते से अवरोधक हटाकर रास्ता खुलवाने के आदेश पारित किये गये। जिला कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर आराजी नंबर 6616, 6617, 6618, 6622, 6623, 6624 व 6625 की पश्चिमी दिशा में उदयपुर से नान्देशमा सायरा मुख्य मार्ग होकर डामर रोड स्थित होना तथा उत्तरी दिशा में 12 फिट का आम रास्ता गमेतीयों के मोहल्ले तक बना होना अंकित करते हुये नवीन रूप से प्रस्तावित रास्ता निर्मित करने का कोई औचित्य नहीं मानते हुये तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है। हमारी सुविचारित राय में तहसीलदार द्वारा पूर्व में प्रचलित कदीमी रास्ते में अवरोधक पैदा करने की स्थिति में उसे खुलवाया गया है जबकि जिला कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में जो रास्ता अंकित किया है वह प्रार्थी के खेत खसरा से 10 फिट की उंचाई/ढलान पर है जिसे प्रार्थी एंव अन्य काश्तकारों के लिये उपयोग में लिया जाना संभव नहीं है। जिला कलेक्टर द्वारा मात्र प्रस्तुत नजरी नक्शें के आधार पर निर्णय पारित किया है। नजरी नक्शें में उंचाई/ढलान को नहीं दर्शाया जा सकता। जिला कलेक्टर उदयपुर को विवादित रास्ते की वास्तविक मौके की जांच कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये निर्णय पारित करना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर उदयुपर द्वारा पारित आलोच्य आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता।<br><br>उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि जिला कलेक्टर उदयपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 7–11–02 अनुचित एवं अस्पष्ट होने के कारण निरस्त किया जाकर हस्तगत् निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।<br><br>परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण जिला कलेक्टर | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | उदयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उपर दिये अभिमत अनुसार विवादित रास्ते की वास्तविक स्थिति एवं मौके की जांच रिपोर्ट प्राप्त कर समस्त पक्षों की उपस्थिति में उभय पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का सम्पूर्ण अवसर देते हुये प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।<br><br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(आर.के.जायसवाल)<br>सदस्य | |

निगरानी / टीए/1940/ 2006 / उदयपुर
हीरालाल वगैरह बनाम वरदीचंद

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |